(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 19 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 154

बउनवान

श्री गुरूजंट सिंह पुत्र श्री निधान सिंह निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, अंता हाल निवासी मकान नं. 1 / 41 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अंता जिला बारां (राज.) मो.नं. 9509028067

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 20.09.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय तहसीलदार, अंता के पत्र क्रमांक : एल.आर. / 2024 / 1571 दिनांक 20.05.2024 के अनुसार नजूल संपत्ति मकान इंस्पेक्टर एक्साइज स्टेशन अंता कब्जेधारी अपीलार्थी का अतिक्रमण दिनांक 21.05.2024 को पालना रिपोर्ट की गई कार्यवाही संबंधी 05 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है :–

1. अतिक्रमण हटाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां के आदेश निर्देश संबंधी पत्र व्यवहार की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. अपीलार्थी के जगात भवन से अतिक्रमण हटवाने हेतु तहसील कार्यालय में प्राप्त आम जनता के शिकायती पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
3. अतिक्रमण हटाने की पालना (मौका पर्चा) रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, कर्मचारी का पद, विभाग, पूरा नाम मय पता।
4. दिनांक 21.05.2024 की कार्यवाही के पूर्व कब्जेधारी गुरूजंट सिंह को कब्जा हटाने हेतु दिए गए नोटिसों, पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. दिनांक 21.05.2024 को बनाई गई मूवी, विडियोग्राफी की फुटेज उपलब्ध करावें।

तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक [illegible].09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 1140–1141 दिनांक 04.09.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1140–1141 दि. 04.09.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र कमांक / एल.आर. / 2024 / 4124–4125 दिनांक 20.09.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को भी प्रतिलिपि भिजवा दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:33 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से चाही गई सूचना के संबंध में तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/4124—4125 दिनांक 20.09.2024 से इस न्यायालय में जवाब भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 09.07.2024 को प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/3218 दिनांक 05.08.2024 से बिंदुवार सूचित किया जाकर, कार्यालय में उपलब्ध सूचना भिजवा दी गई है जो निम्नलिखित है :—

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां से निर्देश दूरभाष पर प्राप्त हुये थे।
2. पत्र के साथ संलग्न है।
3. अतिक्रमण हटाने हेतु गठित टीम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य सूचना नियमानुसार दिया जाना संभव नहीं है।
4. अपीलार्थी के पुत्र को नोटिस दिया गया जिसकी प्रति संलग्न है।
5. दिनांक 21.05.2024 को बनाई गई मूवी, विडियोग्राफी की फुटेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी यदि कोई सूचना चाहते है तो कार्यालय दिवस के समय पर उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण कर लेवें। इसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जो भी सूचना चाहिए, नियमानुसार उपलब्ध करायी जावेगी।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/4124—4125 दिनांक 20.09.2024 से इस न्यायालय में जवाब भिजवा दिया गया है जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

इस प्रकार प्रकरण में स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को समय सीमा अंदर 01 माह में कार्यालय में उपलब्ध सूचना दी जा चुकी है एवं शेष सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **20.09.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:33 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ